SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

ipk;rhjkt 0;oLFkk e efgykvk dh lgHkkfxrk ,o pukfr;k dk fo'ys"k.k

lat; dekj frokjh] (Ph.D.), शोध निर्देशक, राजनीति विज्ञान विभाग,
l"kek Mgfj;k] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,
शा. जे. पी. वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Authors

lat; dekj frokjh] (Ph.D.), शोध निर्देशक,
राजनीति विज्ञान विभाग,
l"kek Mgfj;k] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग,
शा. जे. पी. वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य
महाविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 22/12/2022
Revised on : -----
Accepted on : 29/12/2022
Plagiarism : 02% on 22/12/2022

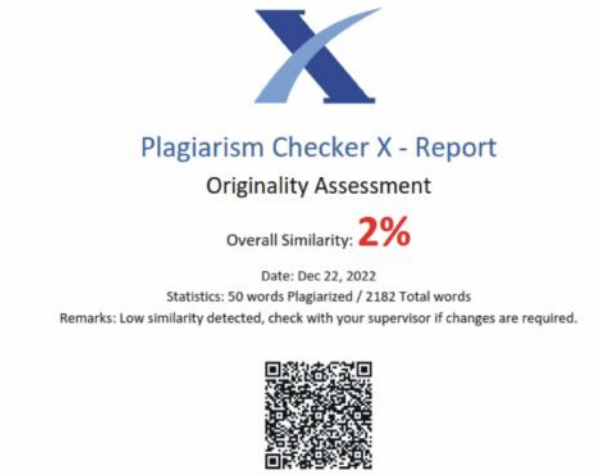

'kks/k lkj

पंचायती राज अधिनियम–1992 लागू होने से गांव की महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वर्तमान समय में महिला आरक्षण को कई राज्यों ने 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक दिया है जिससे पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी बढ़ी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्राचीन समय से ही भारत में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। आजादी के बाद भी महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो या कला, साहित्य, सुरक्षा, खेल इत्यादि सभी क्षेत्रों में आगे हैं। सरकारें भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए कई कदम उठा रही हैं जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और समाज में बदलाव ला सकें। संविधान के 73वें संशोधन–1992 में महिलाओं को पंचायतों में एक तिहाई (33 प्रतिशत) आरक्षण दिया गया है। वर्तमान समय में आरक्षण सीमा को कई राज्यों ने बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक दिया है, यही कारण है कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी बढ़ी है।

e[; 'kCn

efgykvk dh lgHkkfxrk] ipk;rh 0;oLFkk] pukfr;k·

çLrkouk

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत को गांवो का देश भी कहा जाता है, इसलिए यह आवश्यक था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को गाँवो तक पहुंचाने का माध्यम के रूप में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। पंचायती राज व्यवस्था सन् 1975 में लागू हुई जिसके पश्चात् पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज अधिनियम 1992 में की गयी, जिसके अंतर्गत पंचायत चुनावों में महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत सीटें

आरक्षित रखने का निर्णय लिया गया। यह एक ऐसा कदम था जिसके फलस्वरूप महिला सशक्तिकरण को एक नई उड़ान देने की कोशिश की गई तथा स्थानीय शासन व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। वर्तमान समय में कुछ राज्यों द्वारा पंचायतो में महिला आरक्षण को 50 प्रतिशत बढ़ाकर पुरूषो के बराबर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे अधिक से अधिक महिला उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव में भाग लेकर राजनैतिक और सामाजिक समानता के सपने को साकार करने का प्रयास किया जा सके। परन्तु आज भी समाज में कुछ वर्ग या ऐसे व्यक्ति उपस्थित हैं जो संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त है और महिला सहभागिता व महिला सशक्तिकरण के विरोधी है जिसके कारण ऐसे लोग महिला जनप्रतिनिधियों के समक्ष चुनौतियां व समस्याएं खड़ी करते रहते है जिसके परिणाम स्वरूप महिला जनप्रतिनिधियों को अपने कर्तव्यों को पुरा करने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इससे समाज एवं शासन व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता का सपना अधुरा सा रह जाता है। भारतीय समाज में महिलाओं कहने को तो बराबरी का अधिकार प्राप्त है परन्तु आज भी स्थानीय लोगों में या गांवो में महिलाओं स्वतंत्र मतदान का भी अधिकार प्राप्त नही है इसलिए इस शोध पत्र के माध्यम से हम पंचायती राज व्यवस्था में महिला सहभागिता एवं चुनौतियों के विषय में चर्चा कर रहे है।

ipk;rh jkt 0;oLFkk e: efgyk vkj{k.k

पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के पश्चात् इसमें केवल पुरूषों का वर्चस्व रहा जिसके कारण ऐसा प्रतीत होने लगा कि पंचायती राज व्यवस्था में महिला सहभागिता न के बराबर होने के कारण, महिलाओं को समानता का अधिकार व अवसर की स्वतंत्रता से वंचित रखा जा रहा है। इसलिए पंचायती राज अधिनियम संशोधन विधेयक के रूप में 73 वां संविधान संशोधन 1992 अधिनियम लाया गया जिसके अंतर्गत महिलाओं को पंचायत चुनाव के सभी स्तर पर 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई। वर्तमान समय में कुछ राज्यों में इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया है जिसमें प्रमुख राज्य है– आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, पं. बंगाल आदि।

efgyk vkj{k.k ls ykHk

1. jktuhfrd Hkkxhnkjh e: c<kÙkjh% पंचायत स्तर पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का ही नतीजा है कि आज देश में लाखों की संख्या में महिलाएँ पंचायती राज में सहभागिता कर रही है।
2. f’k{kk d: çfr tkx:drk% पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण के कारण महिलायें शासन व्यवस्था में भाग लेकर अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बेहतर तरीके से जानने के लिए शिक्षित होने का प्रयास कर रहीं है।
3. efgyk vfèkdkjk: vkj drÙ;k: d: çfr tkx:drk% पंचायत स्तर पर आरक्षण मिलने से महिला जनप्रतिनिधि अपने अधिकारों और कर्तव्यों के विशय में जागरूक हो रहीं है तथा समाज के दुसरी महिलाओं को भी जागरूक कर रही है सामाजिक रूढ़ीवादिता और कुप्रथाओं के प्रति।
4. efgykvk: dh fLFkfr e: cnyko% आरक्षण के परिणाम स्वरूप ही महिलाओं की राजनैतिक व सामाजिक समानता बढ़ी है जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है तथा सामाजिक भूमिका में बदलाव हो रहा है।
5. Lo;: dk: lkfcr dju: dk vfèkdkj% भारतीय समाज में महिलाओं की छवि एक घरेलू महिला की है जिसे बदलकर एक अच्छे नेतृत्वकर्ता की छवि साबित करने का अवसर मिल रहा है तथा पुरूषों के समान वह भी प्रशासन का कार्य अच्छे से कर सकती है यह साबित करने का अच्छा अवसर मिला है।

पंचायती राज व्यवस्था एवं महिलाओं के समक्ष चुनौतियां:

1. fir`lÙkkRed lL—fr% भारतीय संस्कृति पितृत्तात्मक संस्कृति है अर्थात् भारतीय समाज में हमेशा से पुरूषों

की ही सत्ता रही है इसलिए आज भी समाज पुरूषों की सत्ता या नेतृत्व को स्वीकार करती है तथा महिलाओं की सत्ता या नेतृत्व को स्वीकार करने से बचता है या अस्वीकार कर देती है।

2. lkekftd <kpk% भारतीय समाज का ढ़ांचा रीति–रिवाजों व प्रथाओं से निर्मित है जहां पर महिलाओं को रीति–रिवाजों व प्रथाओं को मानने व आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, परन्तु इन प्रथाओं के विरूद्ध आवाज उठाने का हक नही है तथा शासन व्यवस्था व रीति–रिवाज पर अपना विचार देने का भी हक नही है, यह भी महिलाओं के समक्ष बड़ी चुनौती है।

3. efgykvk d urRo {kerk d çfr udkjRed –f"Vdk.k% भारतीय समाज में महिलाओं के नेतृत्व क्षमता के विषय में हमेशा से ही नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है तथा उनपर सवाल उठाया जाता है कि ये पुरूषों के मुकाबले बेहतर नेतृत्वकर्ता नही हो सकती। यह विचारधारा भी महिला जनप्रतिनिधियों के समक्ष बड़ी चुनौती है।

4. efgyk vkj{k.k jkV’ku flLVe% पंचायत स्तर के चुनाव में आरक्षण रोटेशन सिस्टम लागू होता है जिसके तहत कोई महिला उम्मीदवार किसी आरक्षित सीट से सरपंच पद का चुनाव जीत जाती है। उसके पश्चात् द्वितीय पंचवर्षीय चुनाव में दुबारा उसी पद पर चुनाव संभव नही होता जिसके कारण वह महिला जनप्रतिनिधि अपने कार्यो को अनवरत नही कर पाती यह भी एक समस्या है, आरक्षित सीटों से चुनी गई महिला उम्मीदवारों के समक्ष।

5. fuj{krk% कई महिला जनप्रतिनिधि पढ़ी–लिखी न होने के कारण अपने अधिकार व कर्तव्यों के विषय में नही जानती। यहां तक की वे अपने पंचायत के कार्यो के विषय में भी उचित जानकारी नही रखती। यह भी एक समस्या है महिलाओं के समक्ष।

6. ljdkjh vfèkdkjhx.kk dh efgykvk d çfr voèkkj.kk% ज्यादातर पंचायत अधिकारियों को पुरूष सरपंचो के साथ कार्य करना सहज लगता है क्योंकि पहले के समय पुरूषों के द्वारा ही पंचायत का कार्य किया जाता था। इसलिए कुछ अधिकारीगणों की मानसिकता होती है कि महिला जनप्रतिनिधि पुरूषों के मुकाबले कमतर होते है तथा उन्हे उचित सम्मान नही दे पाते जिससे महिला जनप्रतिनिधियों में निराशा उत्पन्न होती है।

7. rduhfd çf’k{k.k dk vHkko% आजकल पंचायत स्तर में भी कम्प्यूटर आदि का प्रयोग किया जाता है परन्तु महिला जनप्रतिनिधियों को इसका ज्ञान या प्रशिक्षण ही नही दिया जाता इसलिए वह इस कार्य हेतु अन्य व्यक्तियों पर आश्रित होती है।

8. lkekftd ;k ikfjokfjd leFku dk vHkko% कई महिला जनप्रतिनिधियां चुनाव में सफल तो हो जाती है परन्तु पंचायत में बैठकर काम कर सके इसके लिए उन्हे परिवार या समाज का समर्थन नही मिल पाता यह भी महिलाओं के आगे एक समस्या है।

9. jktuhfrd nyk dh mnklhurk% जितने भी राजनीतिक दल है सभी केवल पुरूषों को आगे लाने का समर्थन करते है तथा महिला सदस्यों पर ज्यादा भरोसा नहीं दिखाते, यह भी एक समस्या है।

10. tkx:drk dh deh% महिलाओं को अपने मौलिक अधिकार व कर्तव्यों के विषय में कोई खास जानकारी भी नही होती है इसलिए वह केवल परिस्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित कर लेते है। समाज में आगे आने का कोई प्रयास नही करते।

11. efgykvk e mnklhurk% भारतीय समाज में महिलायें स्वयं के प्रति उदासीन होती है। वो स्वयं आगे नही बढ़ना चाहती जिस स्थिति में होती है, खुश रहना चाहती है, यह भी एक समस्या है।

12. fuEu ox d efgykvk d le{k pukfr;k% समाज में निम्न वर्ग की महिलाओं को आज भी अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित करना बहुत ही चुनौतियों भरा कार्य है क्योंकि पंचायतीराज व्यवस्था में आरक्षण के कारण से चुनाव जीतकर पंचायत में आ तो जाते है, परन्तु समाज के कुछ वर्ग के लोग आज भी उन्हे अपना

नेता या मुखिया स्वीकार नही कर पाते, जिसके कारण इन महिलाओं के समक्ष कई तरह की चुनौतियां आती रहती है।

vè;;u dk mí';

1. पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की वास्तविक सहभागिता के विशय में अध्ययन करना।
2. पंचायती राज व्यवस्था में महिला जनप्रतिनिधियों को होने वाली समस्याओं और चुनौतियों के विषय में अध्ययन करना।
3. पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना।
4. महिला जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व क्षमता के विषय में अध्ययन करना।
5. पंचायती राज व्यवस्था व मौलिक अधिकार व कर्तव्यों के विषय में महिलाओं की जागरूकता का अध्ययन।
6. महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता के विषय में अध्ययन।

tuli[;k ,oa U;kn'kZ

प्रस्तुत शोधपत्र हेतु ग्राम पंचायत खपरी, जिला– मुंगेली छ.ग. के व्यस्क महिला मतदाताओं व महिला जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।

vkdMksa dk ladyu o 'kks/k çfofèk

प्रस्तुत शोध में साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से साक्षात्कार लिया गया जिसमें 12 प्रश्न थे जो राजनैतिक जागरूकता अधिकार व कर्तव्य तथा राजनैतिक क्षेत्र में समस्या या महिलाओं के समक्ष चुनौतियों को लेकर संबंधित थे जिसका उत्तर हां या नही में रखा गया था।

fu"d"kZ

प्रस्तुत शोध पत्र हेतु साक्षात्कार अनुसूची में कुल 12 प्रश्नों के माध्यम से महिलाओं के विचार जानने का प्रयास किया गया। निष्कर्ष के रूप में निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुएः

1. प्रश्न क्र. 1 क्या आपके घर में महिला एवं पुरूष को समान अधिकार प्राप्त है? इसका उत्तर 80 प्रतिशत महिलाओं ने हाँ और 20 प्रतिशत महिलाओं ने नही में दिया।
2. प्रश्न क्र. 2 क्या आपके घर में स्वतंत्र निर्णय लेने पर अधिकार है? इसका उत्तर 60 प्रतिशत महिलाओं ने हाँ और 40 प्रतिशत महिलाओं ने नहीं में दिया।
3. प्रश्न क्र. 3 क्या आपके विषय में घर के पुरूष सदस्य निर्णय लेते है इसका उत्तर 80 प्रतिशत महिलाओं ने हां और 20 प्रतिशत ने नही में दिया।
4. प्रश्न क्रमांक 4 क्या महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है? इसका उत्तर 80 प्रतिशत महिलाओं ने हां और 20 प्रतिशत ने नही में दिया।
5. प्रश्न क्रमांक 5 क्या आप मौलिक अधिकारों के विषय में जानती है? इसका उत्तर 70 प्रतिशत महिलाओं ने हां और 30 प्रतिशत ने नहीं में दिया।
6. प्रश्न क्रमांक 6 क्या आप पंचायत में महिला आरक्षण के विषय में जानती है? इसके उत्तर में 51 प्रतिशत महिलाओं ने हां और 49 प्रतिशत महिलाओं ने नही में दिया।
7. प्रश्न क्र. 7 क्या आप स्थानीय राजनीतिक दलों के विषय में जानती है? इसका उत्तर 60 प्रतिशत महिलाओं ने हाँ और 40 प्रतिशत ने नही में दिया।
8. प्रश्न क्र. 8 क्या आप राजनैतिक विषयों पर रूचि लेती है? इसके उत्तर में 50 प्रतिशत महिलाओं ने हाँ और 50 प्रतिशत ने नहीं में दिया।

9. प्रश्न क्र 9 क्या महिलाओं का चुनाव लड़ना सही है? इसके उत्तर में 80 प्रतिशत महिलाओं ने हाँ और 20 प्रतिशत ने नही में दिया।
10. प्रश्न क्र. 10 क्या महिलाओं को मतदान का अधिकार देना सही है? इसका उत्तर 90 प्रतिशत महिलाओ ने हाँ और 10 प्रतिशत ने नही में दिया।
11. प्रश्न क्रमांक 11 क्या महिला जनप्रतिनिधियों को पंचायत का कार्य स्वयं करना चाहिए? इसका उत्तर 80 प्रतिशत महिलाओं द्वारा हाँ और 20 प्रतिशत ने नही में दिया।
12. प्रश्न क्रमांक 12 क्या महिला जनप्रतिनिधियों को पंचायत का कार्य स्वयं करना चाहिएं। इसका उत्तर 80 प्रतिशत महिलाओं द्वारा हाँ और 20 प्रतिशत ने नही में दिया।

अतः उपर्युक्त विश्लेषण का देखकर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान समय में महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता का संचार हो रहा है, परन्तु पूर्ण जागरूकता हेतु अभी और प्रयास करना होगा। यह प्रयास शासन प्रशासन और समाज के द्वारा संभव होगा। जब तक महिलायें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में पूर्णतः जागरूक नही हो जाती तब तक महिला सशक्तिकरण और पंचायत में महिला आरक्षण का उद्देश्य पूर्ण नही हो सकता।

l>ko

प्रस्तुत शोधपत्र के साक्षात्कार अनुसूची का अवलोकन करने के पश्चात् यह सुझाव दिया जा सकता है कि इस अनुसूची में शामिल प्रश्नों के उत्तर देने में जो पढ़ी–लिखी और युवा महिलायें है वो अधिक तत्पर दिखाई दे रही है तथा उम्रदराज व कम शिक्षित या अशिक्षित महिलाओं की प्रतिक्रिया कुछ नकारात्मक प्रतीत हुआ तथा इस पंचायत में मुख्यतः सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ावर्ग व अनुसूचित जाति की महिलाओ से प्रपत्र भराया गया जिसके अवलोकन पश्चात् सभी वर्ग के महिलाओं के विचार एक जैसे लगे कोई अंतर दिखाई नही दिया। इस विवरण के अनुसार मेरा कुछ सुझाव है जिसके द्वारा महिलाओं को पंचायत में स्वतंत्र व निर्भिक होकर कार्य करने हेतु प्रेरित किया जा सकेः

1. परिवार के द्वारा भावनात्मक सहारा व स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु प्रेरित करना।
2. समाज के द्वारा महिलाओं के नेतृत्व को स्वीकार करना तथा अच्छे कार्यो पर प्रोत्साहित करना।
3. शासन व प्रशासन के द्वारा महिला जनप्रतिनिधियों को अच्छे कार्य हेतु प्रेरित करना तथा उनके द्वारा किये गये विशेष कार्यो को पुरष्कृत करना।
4. महिला जनप्रतिनिधियों व मतदाताओं को अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना।
5. महिला जनप्रतिनिधियों को समय–समय पर पंचायत के कार्यो हेतु तकनीकी प्रशिक्षण दिलाना।

lanHkZ lwph

1. आर्या अशोक (2014), "भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका", *Journal of advaies and scholarlg in allied education*.
2. पेरवे श्रीमति सोनाली दिलीप (2014), "स्थानीय स्वशासन में महिला नेतृत्व", International indered research journal.
3. कुमार पंकज (2021), "राजनीति में महिलाओं की भूमिका", www.gyanglow.com.
4. झा ऐश्वर्या (2022), "पंचायती राज व्यवस्था एवं महिला सहभागिता", amarujala.com
5. गुप्ता आर. (2019), "राजनीति शास्त्र" रमेश पब्लिसिंग हाउस नई दिल्ली।
6. शर्मा राकेश (2010), "पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भूमिका" *शोध गंगा रिसर्च रिव्यू*।

7. सिंह सीमा (2002), *"पंचायती राज एण्ड वुमन इम्पॉवरमेंट"* प्रभात प्रकाशन लखनऊ।
8. कुमार राजेश (2018), "पंचायती राज में महिला नेतृत्व", Research Review Journal val. 3 at 2018.
9. सिंह बिरेन्द्र (2010), *"पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता"* पत्रिका श्री प्रभु प्रतिभा, वाराणसी।
10. राठी सुभांगी दिनेश (2015), "पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका", shubharathi.blogspot.com 4 April 2015 .

****